

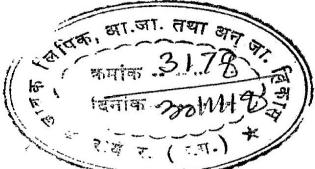
छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 JAN 2018
01/2018

क्रमांक / एफ-14-15 / 2007 / 25 / 2: राज्य शासन एतद् द्वारा नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत "प्रयास" आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु संशोधित नियमावली वष्ट 2017 की स्वीकृति प्रदान करता है।

२- इस स्वीकृति पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेट कमांक /एफ-2017-25-01311 /ब-३/चार, दिनांक 12.01.2018 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार



पृ. क्रमांक / एफ-14-15 / 2007 / 25 / 2

पत्रिलिपि:-

- प्रतीकारण

 - 1— विशेष सहायक: मान. मंत्री, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर.
 - 2— निज सहायक माननीय संसदीय सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर.
 - 3— महालेखाकार छ.ग. रायपुर
 - 4— सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर.
 - 5— आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर उनके पत्र कमांक /प्रयास/ 55/ 2017-18/ 7514 दिनांक 11.10.2017 के तारतम्य में। कृपया योजना की प्रती सभी संबंधितों को उपलब्ध कराते हुए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
 - 6— संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर.
 - 7— आयुक्त, _____ संभाग _____ छ.ग.
 - 8— कलेक्टर, जिला _____ छ.ग.
 - 9— सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास _____ छ.ग.
 - 10— जिला कोषाधिकारी, जिला कोषालय _____ छ.ग.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 11— आर्डर बुक.

19-1-18

Am १९.१.१८
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चों के लिए

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु संशोधित नियमावली वर्ष 2017

1. **उद्देश्य :-** नक्सल प्रभावित जिलों के पूर्व माध्यमिक (कक्षा 8वीं) एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं) के विद्यार्थियों के लिए पूर्णतया आवासीय एवं निःशुल्क गुणवत्ताप्रक उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक यथा कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं स्तर की शिक्षा एवं इससे सबधित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सक्षम/प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए तैयारी कराना है।
2. **परिभाषाएँ :-**
(अ) **प्रयास आवासीय विद्यालय** — नक्सल प्रभावित जिलों के पूर्व माध्यमिक/हाईस्कूल उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ताप्रक पोर्ट ऐड्रिकोटर शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु राज्य शासन द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय से है।
(ब) **संचालन समिति** — संचालन समिति से अभिप्राय योजना नियम की कंडिका 23 में वर्णित समिति से है।
(स) **संस्था** — संस्था से अभिप्राय अध्यापन/कोचिंग हेतु आउटसोर्सिंग से चयनित संस्था का है, जो योजना नियम के अनुसार योग्यता रखते हैं।
(द) **मॉनीटरिंग समिति** — मॉनीटरिंग समिति से अभिप्राय नियम की कंडिका 24 में वर्णित समिति से है।
(इ) **विभागीय चयन समिति** — विभागीय चयन समिति से अभिप्राय योजना नियम की कंडिका 16 में वर्णित समिति से है।
(ई) **नक्सल प्रभावित क्षेत्र** — नक्सल प्रभावित क्षेत्र से अभिप्राय भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित क्षेत्रों/जिलों से है।
3. **आवासीय विद्यालय से तात्पर्य :-**
इस विद्यालय में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों का अध्ययन/अध्यापन होगा तथा इस विद्यालय में बोर्ड परीक्षा के तैयारी कराइ जाएगी।
 - I. **फाउण्डेशन प्रयास आवासीय विद्यालय** — इस विद्यालय में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी कक्षा 9वीं एवं 10वीं तक अध्ययन कर सकेंगे एवं मुख्य आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु तैयारी कर सकेंगे।
 - II. **मुख्य प्रयास आवासीय विद्यालय** — इस विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं का अध्ययन होगा तथा इस विद्यालय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की विशेष तैयारी की जाएगी।
4. वर्तमान में यह विद्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग, अंबिकापुर तथा कांकेर जिला मुख्यालय पर संचालित है, भविष्य में राज्य के अन्य जिलों में भी प्रयास विद्यालय संचालित किया जा सकता है।
5. **योजनांतर्गत शामिल जिले** — नक्सल प्रभावित जिले सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोणडागांव, कोकेर, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, राजननांदगांव, बालोद, गरियाबांद, धमतरी एवं महासमुद, कुल 16 जिले शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित जिलों की सूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन के अधीन होगी।

प्रयास आवासीय विद्यालयों में चयन हेतु मापदण्ड :-
(i) विद्यार्थी कंडिका (4) में शामिल जिले का सामान्यतः निवासी तथा उसी जिले के किसी विद्यालय से 8वीं/10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

//2//

//2//

(ii) कक्षा 8वीं/10वीं उत्तीर्ण अथवा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे किन्तु प्रवेश के समय न्यूनतम 60% अंक/“बी” ग्रेड से उत्तीर्ण होने संबंधी अंकसूची प्रस्तुत करना होगा।

(iii) नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा अर्थात् उन्हे संस्था में सीधे प्रवेश दिया जायेगा। किन्तु नक्सल हिंसा से परिवार प्रभावित है इसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. प्रयास आवासीय विद्यालयों में सीट क्षमता :-
प्रयास आवासीय विद्यालय-

स. क.	संस्था का नाम एवं जिला	9वीं		10वीं		11वीं		12वीं		योग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1.	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, रायपुर	125	-	125	-	155	--	155	--	560
2.	प्रयास बालिका आवा. विद्या, रायपुर	-	125	-	125	--	125	--	125	500
3.	प्रयास बालक /बालिका आवासीय विद्यालय, जगदलपुर	75	50	75	50	75	50	75	50	500
4.	प्रयास बालक/बालिका आवा.विद्या.. दुर्ग	75	50	75	50	75	50	75	50	500
5.	प्रयास बालक / बालिका आवासीय विद्यालय, सरपुरा	75	50	75	50	75	50	75	50	500
6.	प्रयास बालक / बालिका आवा.विद्या., बिलासपुर	75	50	75	50	75	80	75	80	560
7.	प्रयास बालक/ बालिका आवा.विद्या., कांकेर	75	50	75	50	75	50	75	50	500
	योग	500	375	500	375	530	405	530	405	3620

टीप :-

(i) कक्षा 11वीं एवं 12वीं में उल्लेखित सीट गणित एवं जीव विज्ञान समूह हेतु रवीकृत हैं।

(ii) प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में 30-30 सीट कामसे (सी.ए./सी.एस.) तथा प्रयास आवासीय विद्यालय विलासपुर के कक्षा 11वीं एवं 12वीं में 30-30 सीट विधि (फ्लैट) की तैयारी हेतु निर्धारित है।

नोट :- उपरोक्त वर्णित सीटों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा तथा अन्य जिलों में भी प्रयास आवासीय विद्यालय आवश्यकतानुसार खोला जा सकेगा। इसी तरह उपरोक्त विद्यालयों में सीटों की संख्या में वृद्धि/कमी की जा सकेगी।

7. प्रवेश में आरक्षण :-

(i) नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चों पर आरक्षण लागू नहीं होगा अर्थात् सभी नक्सल प्रभावित बच्चों का सीधे प्रवेश होगा।

(ii) शेष विद्यार्थियों के लिए अ.ज.जा.- 50%, अ.जा. 20%, अ.पि.व.- 20%, सामा. वर्ग- 10% के मान से आरक्षण लागू होगा। सीट रिक्त रहने पर एक दूसरे में समायोजना किया जा सकेगा।

//3//

///3//

8. विद्यार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया :-
- प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा हेतु राज्य स्तर/जिला स्तर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा।
 - सत्र 2018-19 से सभी प्रयास विद्यालयों के कक्षा 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश हेतु पृथक-पृथक प्राक्वयन परीक्षा आयोजित की जाएगी।
 - विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं शर्तों के अनुसार विद्यार्थी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
 - प्रवेश परीक्षा प्रत्येक नक्सल प्रभावित जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा केन्द्र का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर/सहायक आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
 - प्रवेश परीक्षा का आयोजन जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त द्वारा अंपने निगरानी में कराया जायेगा।
 - मूल्यांकन कार्य एवं मेरिट सूची तैयार करने का कार्य जिला/राज्य स्तर पर होगा। इसे हेतु एक समिति बनायी जाएगी।
 - जिला मुख्यालय रायपुर में विद्यार्थियों को प्रयास विद्यालय आवंटित करने हेतु केन्द्रियकृत काउंसिलिंग की व्यवस्था होगी। काऊंसिलिंग एक समिति द्वारा की जाएगी।
 - प्रयास आवासीय विद्यालय का आबंटन चयनित विद्यार्थियों द्वारा अर्जित मेरिट तथा उनके द्वारा दिए गए विकल्प के प्राथमिकता क्रम में किया जाएगा। इस हेतु विद्यार्थी या उसके पालक से प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विवरण लिखित में लिया जायेगा।
 - विद्यार्थियों की मेरिट सूची एवं अंतिम चयन सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।
 - कक्षा 11वीं में 50 प्रतिशत सीट फाउण्डेशन प्रयास के विद्यार्थियों से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्राप्त सेवानिक अंकों के आधार पर प्राप्त अंक के मेरिट से भरा जाएगा। शेष 50 प्रतिशत सीट प्राक्वयन परीक्षा द्वारा भरी जाएगी।
 - मान्यता प्राप्त बोर्ड अंतर्गत नामांकन** :- प्रयास आवासीय विद्यालय में छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधीन विद्यार्थियों का नामांकन कराया जाएगा। भविष्य में आवश्यकता को देखते हुए, सी.बी.एस.ई. या आई.सी.एस.ई. बोर्ड पाठ्यक्रम लागू किया जा सकेगा।
 - शिक्षा का माध्यम** :- प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा। आवश्यकता को देखते हुए विभाग द्वारा अंग्रेजी माध्यम में भी अध्यापन/कोचिंग का कार्य कराया जा सकेगा।
 - प्रयास आवासीय विद्यालयों के संचालन का मॉडल :- प्रयास आवासीय विद्यालयों में भवन, मेस, छात्रावास, विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश स्वास्थ्य सुविधा समस्त अपोस्टरचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। शैक्षणिक सुविधा अंतर्गत शिक्षकों की व्यवस्था निजी संस्थाओं से आउट सोर्स से की जाएगी, जिसके लिए पंजीकृत शैक्षणिक निजी संस्थानों से "रुचि की अभिव्यक्ति" के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा।
 - संस्था चयन हेतु प्रदत्त शर्तियाँ एवं कार्यवाही के अधिकार**:-
 - रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका हेतु संस्था का चयन, अनुबंध एवं कार्यादेश जारी करना तथा नियमानुसार भुगतान करने, मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण सीधे आयुक्त, आ.जा.अनु.जा.वि., रायपुर द्वारा होगा।
 - जिला स्तर पर स्थित अन्य प्रयास विद्यालयों हेतु संस्था चयन, अनुबंध एवं कार्यादेश जारी करने तथा नियमानुसार भुगतान करने, मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण हेतु संबंधित कलेक्टर पूर्ण सक्षम होंगे। अनुबंध अनुसार संस्थाओं द्वारा कार्य न करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु कलेक्टर खयं सक्षम होंगे।
 - रुचि की अभिव्यक्ति हेतु फार्म/डाक्युमेंट आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें निजी कोचिंग संस्थाओं के लिए मानकों का उल्लेख होगा। जिसे सभी जिले लागू करेंगे।

///4//

//4//

13. रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने हेतु अहंता :-

- कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एकट 1956/ए द्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन द्रस्ट एकट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
- संस्था का पेन (PAN) एवं टेन (TAN) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए।
- प्रति वर्ष का टर्न ओवर 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। विगत 03 वर्षों में संस्था का औसत टर्न ओवर प्रस्तुत करना होगा। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा।
- सुख्खा निधि के रूप में ₹ 5.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. 02 वर्ष की अवधि हेतु संलग्न होना चाहिए। (कंडिका 18 के अनुसार)
- फाउण्डेशन प्रयास के रुचि की अभिव्यक्ति हेतु उपरोक्त कंडिका (i) से (iii) यथावत रहेंगे, परंतु सुरक्षानिधि के रूप में 2.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. 02 वर्ष की अवधि हेतु वैध संलग्न होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त अहंता का निर्धारण उस वर्ष के प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति में किया जाएगा। जिसका निर्धारण आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन, नया रायपुर द्वारा किया जाएगा।

14.

- रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :- कंडिका 13 में उल्लेखित अहंता में योग्य पाए जाने पर तकनीकी निविदा खोली जाएगी। प्रक्रिया का निर्धारण प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति में किया जाएगा।

15.

- रुचि के अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन :- संबंधित वर्ष में प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत उल्लेखित नियमानुसार प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा।

16.

- प्रस्तावों के परीक्षण, मूल्यांकन एवं चयन समिति :-

- (i) रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों से संस्था चयन हेतु समिति निम्नानुसार होगी:-

(अ) रायपुर स्थित प्रयास विद्यालय के लिये समिति:-

- | | |
|--|--------------|
| 1. आयुक्त/संचालक | - अध्यक्ष |
| 2. संचालक/प्रतिनिधि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् | - सदस्य |
| 3. संयुक्त संचालक (वित्त) | - सदस्य |
| 4. योजना प्रभारी अधिकारी | - सदस्य सचिव |
| 5. बालक एवं कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर के प्राचार्य/प्रशासनीय अधिकारी | - सदस्य |
| 6. सहायक आयुक्त, आ.वि. रायपुर | - सदस्य |

(ब) जिला स्तरीय समिति (रायपुर को छोड़कर):-

- | | |
|---|--------------|
| 1. कलेक्टर/प्रतिनिधि जो अपर कलेक्टर के रैक से कम न हो | - अध्यक्ष |
| 2. जिला शिक्षाधिकारी | - सदस्य |
| 3. जिला कोषालय अधिकारी | - सदस्य |
| 4. परियोजना समन्वय रा.गां.शि.मि. | - सदस्य |
| 5. सहायक आयुक्त, आ.जा.क. | - सदस्य सचिव |
| 6. प्रशासनीय अधिकारी | - सदस्य |

✓

//5//

115//

(ii) शिक्षकों की प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी :-

(अ) रायपुर स्थित प्रयास विद्यालय के लिये समिति:-

- | | |
|--|--------------|
| 1. संचालक, आ.जा.अनु.जा.वि. | - अध्यक्ष |
| 2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् या आयुक्त, आ.जा. | - सदस्य |
| क.द्वारा नामांकित 03 विषय विशेषज्ञ | |
| 3. प्रभारी अधिकारी | - सदस्य सचिव |
| 4. सहायक आयुक्त, आ.वि. रायपुर | - सदस्य |
- (ब) जिला स्तरीय समिति (रायपुर को छोड़कर):-
- | | |
|---|--------------|
| 1. कलेक्टर/प्रतिनिधि जो अपर कलेक्टर के रैक से कम न हो | - अध्यक्ष |
| 2. कलेक्टर द्वारा नामांकित 03 विषय विशेषज्ञ | - सदस्य |
| 3. सहायक आयुक्त, आ.जा.क. | - सदस्य सचिव |
| 4. प्रशासकीय अधिकारी | - सदस्य |

(iii) प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया :- शिक्षक अपने विषय के प्रस्तुतीकरण कक्षा 10वीं तथा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समक्ष करेंगे। शिक्षकों के शिक्षण कौशल एवं विषयवस्तु के प्रस्तुतीकरण पर बच्चों से फीड बैक प्राप्त किए जाएंगे तथा फीड बैक पर भी अधिभार दिए जाएंगे।

17. चयनित कोचिंग संस्था के दायित्व :-

1. एम.ए./एम.एस.सी./बी.टेक./बी.ई./एम.बी.बी.एस. में न्यूनतम 75 प्रतिशत या समकक्ष ग्रेड होना आवश्यक है।
2. शिक्षक संबंधित संस्था में कम से कम 3 वर्षों से कार्यरत हो, इस हेतु संस्था को सैलरी एकाउंट का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रयास विद्यालय हेतु नियोजित शिक्षक प्रयास विद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था/ कोचिंग कक्षाओं में अध्यापन कार्य नहीं करेगा।
4. डेमो में भाग लेने वाले शिक्षक को ही शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त करना अनिवार्य होगा।
5. रायपुर मुख्यालय स्थित प्रयास विद्यालय में कोचिंग संस्था द्वारा नियुक्त शिक्षक को आयुक्त के अनुमति के बिना नहीं बदला जा सकेगा। इसी प्रकार अन्य जिलों के प्रयास विद्यालय में शिक्षकों को कलेक्टर के बिना अनुमति के नहीं बदला जा सकेगा।
6. चयनित शिक्षकों द्वारा प्रभावी/ गुणवत्ता मूलक शिक्षण करने में सक्षम नहीं पाए जाने पर आयुक्त/कलेक्टर के निर्देश पर योग्य शिक्षक की पूर्ति 15 दिवस के अंदर करना अनिवार्य होगा।
7. समस्त आवश्यक अधिसंरचना अनुबंध अनुसार उपलब्ध कराना होगा।
8. अनुबंध होने के पश्चात प्रशासकीय अधिकारी द्वारा लिखित सूचना दिए जाने के अधिकतम एक सप्ताह के अंदर कोचिंग/अध्यापन प्रारंभ करना होगा।
9. प्रवेशित अन्धर्थियों का प्रत्येक माह मासिक, त्रैमासिक एवं छमाही टेस्ट लेना होगा। मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन के आधार पर अन्धर्थियों के अध्ययन में सुधार हेतु सुझाव तथा अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सतत सकारात्मक प्रयास करना होगा। टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसे प्रशासकीय अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा तथा विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
10. अन्धर्थी द्वारा चयन किए गए विषयों हेतु विषय विशेषज्ञ रखना होगा।
11. विषय विशेषज्ञ हेतु प्रयास संस्था के आसपास रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी कोचिंग संस्था की होगी।
12. शाला अवधि पश्चात रेमेडियल क्लासेस हेतु कोचिंग संस्था के विषय विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से प्रयास संस्था में उपस्थित रहेंगे।

116//

//6//

13. प्रवेशित अभ्यार्थियों को व्यक्तित्व विकास एवं इंगिलिश स्पीकिंग हेतु भी प्रशिक्षण देना होगा।

14. प्रतियोगी परीक्षाओं (JEE main/advance, AIPMT/PMT, PET, BAMS) इत्यादि का फार्म भरवाना, काउंसलिंग करना तथा विद्यार्थियों को इन संस्थाओं में प्रवेश दिलाने हेतु सहयोग प्रदान करना। यह कोचिंग संस्था एवं विद्यालय में कार्यरत विभागीय अमले का संयुक्त दायरित होगा।

15. विभाग के अधिकारियों द्वारा संस्थान का समय—समय पर निरीक्षण किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय में निरीक्षण पंजी रखना होगा। विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षण/कोचिंग से संबंधी आवश्यक अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध करना होगा।

16. संस्था को एक कैरियर काउंसलर/मनोवैज्ञानिक रखना होगा।

17. ऑनलाइन साफ्टवेयर पर कोचिंग संस्था द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति अपलोड करना होगा।

रुचि की अभिव्यक्ति में नियुक्त शिक्षक की न्यूनतम योग्यता/अहंता के संबंध में उल्लेख अनुसार उपरोक्त बिन्दु यथावत रहेंगे। उस वर्ष हेतु प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति में इस संबंध में अन्य बिन्दुओं का उल्लेख किया जा सकेगा।

18. सुरक्षा निधि :-

संस्था द्वारा 5.00 लाख की सुरक्षा निधि का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर (दो वर्ष की अवधि हेतु) बनाकर आवेदन के साथ जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ0ग0 रायपुर के पक्ष में देय होगा। जिन संस्थाओं का अंतिम चयन नहीं होगा। उन्हें बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर चयन प्रक्रियापूर्ण होने के पश्चात विमुक्त कर दिया जाएगा। चयनित/अनुबंधित संस्था का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर अनुबंध अवधि समाप्त होने पर विमुक्ति योग्य होगा।

इसके मानदंडों में यदि परिवर्तन किया जाता है, तो उसका उल्लेख उस वर्ष हेतु प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति में किया जाएगा।

19. इम्पैनल्ड कोचिंग संस्था को कार्य आवंटन एवं अनुबंध :-

रुचि की अभिव्यक्ति में चयनित कोचिंग संस्था को अधिकातम दो वर्ष के लिए इम्पैनल्ड किया जाएगा। इम्पैनल्ड संस्थाओं का अनुमोदन प्रशासकीय विभाग द्वारा लिया जाएगा। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले वर्षों में नवीनीकरण हेतु विचार किया जा सकेगा। चयनित संस्था द्वारा बीच में कार्य छोड़ने पर अमानत राशि राजसात करते हुए शेष संस्थाओं में से वरियता क्रमानुसार अन्य संस्था को कार्यादेश दिया जा सकेगा।

20. राशि का भुगतान :-

(1) प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं, 10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग हेतु रुचि की अभिव्यक्ति का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न चरणों में भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण एवं शर्तें प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति में की जाएगी।

(2) प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 11वीं, 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग हेतु रुचि की अभिव्यक्ति का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न चरणों में भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण एवं शर्तें प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति में की जाएगी। संस्था को राशि का भुगतान उसके द्वारा हासिल उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा। जो रुचि की अभिव्यक्ति में लिखित होगी। संस्था द्वारा, विभिन्न निर्धारित भील के पर्वतीयों को हासिल किया गया है या नहीं, यह निर्धारण प्रयास विद्यालय से खतंत्र आयुक्त कार्यालय में स्थापित समिति द्वारा किया जाएगा। अंतिम भुगतान आयुक्त के अनुमोदन से ही होगा।

संस्था को राशि एवं किश्तों के भुगतान के पूर्व अनुबंध वर्ष में प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति के शर्तों का भली-भांति अध्ययन कर उसी के अनुसार किश्तों का भुगतान किया जाएगा।

//7//

///7//

.21. प्रशासकीय अधिकारी के दायित्व :-

- (i) प्रशासकीय अधिकारी विद्यालय के प्रमुख होंगे तथा विद्यालय पर समर्त प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण प्रशासकीय अधिकारी का होगा।
- (ii) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह विद्यालय के गतिविधियों का सफलता पूर्वक संचालन एवं परिणामोन्नति बनाने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे।
- (iii) विद्यालय के क्रियाकलापों के लिए वरिष्ठ कार्यालयों एवं अन्य विभागों से सहयोग लेने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।
- (iv) प्रशासकीय अधिकारी कोचिंग संस्थान द्वारा प्रदत्त फैकल्टी पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे।
- (v) प्रशासकीय अधिकारी, अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अनुबंधित कोचिंग संस्थान से कार्य करवायेंगे।
- (vi) विद्यालय के व्यवित्तत्व विकास हेतु समय—समय पर मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रित कर व्याख्यान करायेंगे।
- (vii) मेस का सुव्यवस्थित संचालन करायेंगे एवं उसका हिसाब रखेंगे तथा प्रतिमाह भोजन व्यय का हिसाब रखेंगे तथा प्रति विद्यार्थी डाइट चार्ज निकालेंगे।
- (viii) प्रतिमाह भद्रवार व्यय विवरण प्रस्तुत करेंगे।
- (ix) विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था एवं अनाधिकृत प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।
- (x) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह विद्यार्थीयों के बाह्य मूल्यांकन का प्रबंध करेंगे, जिससे विद्यार्थी एवं कोचिंग संस्था के दक्षता का मूल्यांकन हो। यह वर्ष में दो बार अर्थात् माह अक्टूबर एवं जनवरी में होगा। इसकी प्रगति से अवगत कराना होगा।
- (xi) समय—समय पर विभाग के हित में सौषे गए दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
- (xii) अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य उचित कार्य करवाया करेंगे।

.22. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के दायित्व :-

- (i) प्रयास आवासीय विद्यालय का समय—समय पर पर्ववेक्षण करेंगे तथा माह में न्यूनतम दो बार निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) प्रशासकीय विद्यालयों के संचालन में आ रही बाधा समस्या का निराकरण करेंगे।
- (iii) प्रशासकीय अधिकारी के सीमा से बाहर अन्य कार्यों के लिए बाह्य सहायता एवं मार्गदर्शन देंगे।

.23. प्रशासकीय विद्यालय हेतु संचालन समिति :-

(अ) मुख्यालय स्तर पर संचालन समिति (सायपुर रिस्त उपर)

उक्त संस्था के सुचारू संचालन हेतु मुख्यालय स्तर पर निम्नानुसार संचालन समिति गठित की जाएगी, जो निम्नानुसार होगी :-

- | | |
|---|--------------|
| (1) आयुक्त/ संचालक, आ.जा.क., मुख्यालय रायपुर | — अध्यक्ष |
| (2) अपर संचालक/उपायुक्त (प्रशासन/शिक्षा) | — सदस्य |
| (3) योजना प्रभारी अधिकारी | — सदस्य |
| (4) संबंधित जिले के सहायक आयुक्त/नोडल अधिकारी | — सदस्य सचिव |
| (5) प्रशासकीय अधिकारी | — सदस्य |

संचालन समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह में आयोजित की जाएगी। इसमें समर्त प्रशासकीय अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, समर्त जानकारी के साथ अनिवार्यतः उपस्थित होंगे।

21

///8//

//8//

(ब) जिला स्तर पर संचालन समिति (जिला रायपुर को छोड़कर):— जिला स्तर पर संचालन समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे :—

- | | |
|--|--------------|
| (1) जिला कलेक्टर | — अध्यक्ष |
| (2) जिला शिक्षा अधिकारी | — सदस्य |
| (3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | — सदस्य |
| (4) महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी | — सदस्य |
| (5) जिला खाद्य अधिकारी | — सदस्य |
| (6) सहायक आयुक्त, आ.जा.क. | — सदस्य सचिव |
| (7) प्रशासकीय अधिकारी | — सदस्य |

संचालन समिति की बैठक प्रत्येक माह में आयोजित की जाएगी।

24. राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति :— इसका गठन निम्नानुसार होगा :—

- | | |
|--|--------------|
| (1) भारसाधक सचिव, | — अध्यक्ष |
| छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.एवं अनु.जा.वि.वि. | |
| (2) आयुक्त, आ.जा.एवं अनु.जा.वि.वि. | — सदस्य |
| (3) संचालक, लोक शिक्षण | — सदस्य |
| (4) संचालक, एस.सी.आर.टी. | — सदस्य |
| (5) प्रबंध संचालक, रा.गां.शि.मि. | — सदस्य |
| (6) योजना प्रभारी अधिकारी | — सदस्य सचिव |
| (7) संबंधित जिले के सहायक आयुक्त /
नोडल अधिकारी | — सदस्य |
| (8) प्रशासकीय अधिकारी (बालक एवं कन्या) | — सदस्य |

समिति द्वारा योजना का संपूर्ण मूल्यांकन कर योजना में सुधार एवं इसे बेहतर बनाने हेतु निर्देश दे सकेंगी। इसकी बैठक वर्ष में 01 बार आयोजित होगी।

25. वित्त पोषण एवं बजट :—

(अ) योजना के क्रियान्वयन पर होने वाला व्यय मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत मांग संख्या 41 मुख्यशीर्ष 2202 योजना क्रमांक 7437 द्वारा किया जाएगा।

(ब) योजना अंतर्गत चयनित / अनुबंधित संस्था को प्रति विद्यार्थी के मान से 9वीं एवं 10वीं / 11वीं एवं 12वीं के अध्यापन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की कोरिंग हेतु शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। शिक्षण शुल्क का भुगतान दो वर्षों में (अनुबंध अवधि के अंतर्गत) विभिन्न किश्तों में किया जाएगा।

26. संस्था चयन प्रक्रिया के दौरान विवाद अथवा विवाद की स्थिति निर्मित होने पर छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

*20/01/18
(झ.झ. कुजाम)*

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

20